<u>न्यायालय : शिवानी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u>
(आप.प्रक.क्रमांक :- 392 / 2015)
(संस्थित दिनांक :- 22 / 06 / 2015)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ। जिला–भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

## // विरुद्ध //

( आज दिनांक : 27 / 04 / 2018 को घोषित )

- 01. अभियुक्त सूरज पर भा.द.सं. की धारा 294, 324 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक : 11/06/2015 की सुबह लगभग 07:00 बजे, ग्राम भूटा बड़ेरा राय सिंह के दरवाजे के सामने, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी अजमेर खॉ को मॉ—बहन की अश्लील गालियॉ देकर क्षोभ कारित किया, अभियुक्त सूरज ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी अजमेर की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी अजमेर खॉ को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 11/06/2015 की सुबह लगभग 07:00 बजे, ग्राम भूटा बड़ेरा राय सिंह के दरवाजे के सामने, आरोपी सूरज द्वारा फरियादी अजमेर से गाली—गलौच करने, उसकी धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी अजमेर द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ में पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 149/2015 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी अजमेर, साक्षीगण मन्थो उर्फ शान्ति एंव मुकेश के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 03. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं

झूंटा फंसाया जाना व्यक्त किया।

- 04. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी सूरज ने दिनांक : 11/06/2015 की सुबह लगभग 07:00 बजे, ग्राम भूटा बड़ेरा राय सिंह के दरवाजे के सामने, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी अजमेर खॉ को मॉ—बहन की अश्लील गालियॉ देकर क्षोभ कारित किया?
- 02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी अजमेर की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?
- 03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अजमेर खॉ को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया?

## सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु कमांक :- 01 लगायत 03

- 05. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 06. अभिकथित घटना के संबंध में फरियादी/आहत अजमेर खॉ की साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले के समर्थन में कोई कथन नहीं किया गया है। चक्षुदर्शी साक्षीगण मुकेश अ.सा.02 एवं शान्ति अ.सा.03 ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है एवं घटना के बारे में कोई भी जानकारी होने से इन्कार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियुक्त सूरज द्वारा फरियादी को गाली—गलौच करने, धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी अजमेर की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने एवं फरियादी अजमेर खॉ को जान से मारने की धमकी देने के सुझाव से इन्कार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथनों में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है, जिनसे अभियोजन के मामले को लेश मात्र भी समर्थन प्राप्त होता हो।
- 07. साक्षी डॉ.राहुल भदौरिया अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि दिनांक : 11/06/2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ होते हुये आहत अजमेर पुत्र मक्को का परीक्षण किया था। जिसमें पाया था कि आहत के सिर में धारदार आयुध से चोट पहुँचाई गई थी, जिसका आकार 06 गुणत 0.5 गुणत 0.5 से.मी. था। आहत के बाई कलाई पर दर्द की शिकायत

थी। साक्षी आगे कहता है कि चोट क्रमांक 01 धारदार आयुध से पहुँचाई गई थी, जो साधारण प्रकृति की होकर उसके परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की थी। चोट क्रमांक 02 साधारण प्रकृति की थी, इस वावत् उसके द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। किन्तु जहाँ कि स्वयं आहत अजमेर सिंह द्वारा घटना दिनांक को उसके शरीर पर कोई चोट होने और उक्त चोट अभियुक्त सूरज द्वारा पहुँचाने जाने का कथन नहीं किया गया है, वहाँ मात्र पुष्टिकारक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

- 08. अभियोजन साक्षी पुरूषोत्तम अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 11/06/2015 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने फरियादी अजमेर खाँ की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 149/2015 अन्तर्गत धारा 323, 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के तहत आरोपी सूरज के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 लेख की थी।
- 09. अभियोजन साक्षी पी.आर.एस.पाल अ.सा.05 ने प्रकरण की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा—मौका प्र.पी.05 बनाना, फरियादी अजमेर खॉ, मन्थो उर्फ शान्ति एवं मुकेश के कथन उनके बताये अनुसार लेख करना, आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.06 बनाना बताया है। किन्तु पुनः यह उल्लेखनीय है कि सारवान साक्षी के अभाव में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखकर्ता एवं विवेचक की साक्ष्य मात्र के आधार पर आक्षेपित अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का मूल महत्व मात्र पुष्टिकारक साक्षी के रूप में है।
- 10. इस प्रकार सारवान साक्ष्य के अभाव में जहाँ कि स्वयं फरियादी की साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है एवं घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं है, अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सूरज ने दिनांक :— 11/06/2015 की सुबह लगभग 07:00 बजे, ग्राम भूटा बड़ेरा राय सिंह के दरवाजे के सामने, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी अजमेर खाँ को माँ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, अभियुक्त सूरज ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी अजमेर की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी अजमेर खाँ को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त सूरज पुत्र रामसेवक बाल्मीक को धारा 294, 324 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 11. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(शिवानी शर्मा) (शिवानी शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद